
	<p style="text-align: center;">जनसंपर्क अधिकारी</p> <p style="text-align: center;">मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय रामनगर सृष्टी, मिरारोड पुर्व ता. जि. ठाणे फोन नं. ०२२-२९४५१००१. Mail ID- pro.cp.mb-vv@mahapolice.gov.in</p>	 <p style="text-align: center;">स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रेसनोट ३६८-२२

दिनांक ०२/१२/२०२२

**अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला मा. न्यायालयाने
सुनावली १० वर्ष व ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा.**

मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयातील विरार पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये दिनांक ३/२/२०१६ रोजी दुपारच्या सुमारास एका ७ वर्षांच्या मुलीवर शेजारीच राहणाऱ्या आरोपीत नामे भरतकुमार झा वय-४७ वर्ष याने अल्पवयीन मुलीस पळवून नेवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. सदर घटनेबाबत अल्पवयीन मुलीच्या आईने दिनांक ७/२/२०१६ रोजी तक्रार दिल्याने विरार पोलीस ठाणे येथे १ गुरनं ७३/२०१६ भादंवि ३६३, ३७६ (२), (आय), ३५४ सह लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण अधि. २०१२ चे कलम ३ (क), ४, ५(म), ६, ७, ८ प्रमाणे गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

सदर गुन्ह्याचे तात्कालीन तपासी अधिकारी सपोनी श्री अरविंद कांबळे यांनी आरोपीतास तात्काळ अटक करून व सबळ पुरावे हस्तगत करून मा. जिल्हा व सत्र न्यायालय, वसई येथे दोषारोपपत्र दाखल केले होते. सदर गुन्ह्याची मा. न्यायालयामध्ये सुनावणी होवून आज दिनांक २/१२/२०२२ रोजी मा. न्यायालयाने आरोपीतास १० वर्ष कारावास व ५ हजार रुपये दंड (दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास) अशी शिक्षा सुनावली आहे. सदर गुन्ह्याचे सुनावणीकरिता सरकारी वकील म्हणून श्री जयप्रकाश पाटील यांनी कामकाज पाहिले असून पैरवी अधिकारी पोउपनी मोहिते व कोर्ट अंमलदार म्हणून सहापोउपनी जयराम राउत यांनी वरिष्ठांचे मार्गदर्शनाखाली कामकाज पार पाडले आहे.

---०००---